दृष्टिगोचर होती है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के विकास के साथ संस्कृत के पठन-पाठन और सम्मान का स्वरूप प्रदान किया है।

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि संस्कृत शिक्षण का स्वरूप दशम और द्वादश कक्षाओं, बी.ए. और एम.ए. की कक्षाओं में अधिकतम सुव्यवस्थित हो, ऐसा सामूहिक प्रयास हो। संस्कृत के पठन-पाठन से उत्तम संस्कार, उत्तम विचार, उत्तम आचरण और उत्तम जीवन धारण करने की महान कला निहित है।

Demand for stoppage of 12424 Rajdhani Express at Rangiya Junction

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, the Rangiya Railway Division is one of the five railway divisions under the North-East Frontier Railway Zone of Indian Railways. I would like to draw your kind attention to a decade-long pending issue of an additional stoppage of 12424 Rajdhani Express at Rangiya Junction.

People are compelled to go to Guwahati station hiring cars, losing hard-earned money and wasting their precious time. Some elderly people are even being compelled to stay an extra night at the hotel. Assam is a frontier State and its people spend more time in reaching New Delhi by train. At present, there is only one daily service of Rajdhani, that is, 21423/12424. Rangiya Station is the junction point of rail connectivity of Dhemehi, Lakhimpur, Biswanath, Sonitpur, Udalguri, Baska, Kamrup, Nalbari districts of Assam and East Kameng, East Siang and West Siang districts of Arunachal Pradesh.In the absence of an additional stoppage at the Rangiya Junction, people of nearby areas are facing a huge problem in boarding the Rajdhani Express.

Sir, the North-East Frontier Railway had already sent a proposal to the Railway Board for sanction in 2009. A reminder was sent in 2017 and another reminder was sent in September, 2022. The matter is still pending with the Railway Board. I urge the Government to take immediate action for an additional stoppage at Rangiya for the Rajdhani Express.

Demand to utilize plastic/polyethylene waste in making petrol, CNG, liquid fuel and Hydrogen

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, पेट्रोलियम शोधन की प्रक्रिया में पॉलीमर बाई प्रोडक्ट है, जिससे केवल प्लास्टिक बन सकता है। यदि प्लास्टिक/पॉलीथीन बनाना बन्द किया जाये तो पॉलीमर का क्या होगा, यह चिन्ता का विषय है। प्लास्टिक/पॉलीथीन के निस्तारण का प्रबन्धन बड़ा कठिन है, क्योंकि पॉलीथीन दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। दुर्भाग्य यह है कि सूखे ज्वलनशील पॉलीथीन को बॉयलर में जलाया जा रहा है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। सीमेंट संयंत्रों में प्लास्टिक जलाने की अनुमति है। चिप्स, बिस्कुट, नमकीन के पैकेट्स में इनका

प्रयोग होने के कारण नालियों में जल प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है, जिससे जलीय चक्र प्रभावित हो रहे हैं तथा मिट्टी में दब जाने पर जल सोखने की क्षमता बन्द हो जाती है व भूजल रिचार्ज भी प्रभावित होता है। गैसीफायर से गैस (60 प्रतिशत मिथेन, 15 प्रतिशत हाइड्रोजन, 15 प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साइड) बनती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने कूड़े के निस्तारण में गैसीफायर को अनुदान की श्रेणी से बाहर कर दिया है। एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी से स्वीकृत प्रक्रिया है। एमएनआरई के शैक्षणिक शोध संस्थान सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा अनुसंधान संस्थान में हालिया प्रगति पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस पद्धति को सर्वोत्तम पुरस्कार मिला। अब इससे सीएनजी, पेट्रोल, तरल ईंधन, औद्योगिक गैस व हाइड्रोजन बन रही है।

अतः मेरा आग्रह है कि भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, एमएनआरई, एनजीटी और इस विधा पर काम करने वाले लोगों को मिलाकर एक समिति बनाये, ताकि इसकी व्यावहारिकता तथा भविष्य में इसको कार्यरूप में परिणत करने की दिशा पद्धति का निर्धारण हो सके।

Issue of beneficiary of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्णाटक): महोदय, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को, तीन समान किश्तों में, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसानों को बीज, खाद और अन्य इनपुट की उपलब्धता में सुविधा हो रही है। इस योजना के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और पिछले 4 वर्षों में 2 लाख, 60 हज़ार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में जमा की गई है। यह योजना किसान की आय दोगुनी करने हेतु एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इस योजना के लाभ से अभी भी कुछ छोटे किसान और उनके परिवार वंचित है, क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों की पात्रता निर्धारण की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2019 है। इस योजना के अंतर्गत उन किसान परिवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जहाँ 1 फरवरी 2019 के बाद भूमिधारक की मृत्यु या किसी अन्य कारणों से भूमि का बँटवारा करना पड़ता है और भूमि का मालिकाना हक स्थानांतरित किया गया है। भूमि के नए मालिकों का नाम राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने के बाद भी भूमिधारक योजना का लाभ नहीं ले पाते।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस त्रुटि को सुधारा जाए और दिशानिर्देशों का संशोधन करके वंचित किसानों को इसके अंतर्गत लाने की अनुमति दी जाए, जो बँटवारे के पश्चात् भूमि स्वामित्व में बदलाव के कारण पंजीकृत नहीं हुए और 1 फरवरी, 2019 की अंतिम तिथि को समाप्त करके इसका लाभ हर लाभार्थी को मिले, इसका प्रावधान किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, that is, the 21st December, 2023.

The House then adjourned at thirty-seven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 21st December, 2023.